न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 137/2017

RCMS No.—2017/00262

बटुक जोरावर नाथ भैरव नाबालिक जरिये पुजारी, हाल हनुमान सहाय गुर्जर पुत्र स्वर्गीय श्री गोपीराम गुर्जर, आयु–64 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी उँती रामपुरा रोड, वार्ड नं. 4, ग्राम बगरूकलां, तहसील सांगानेर, थाना बगरू, जिला जयपुर, राज0।

...अपीलांटस

बनाम

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये आयुक्त, पता–इन्द्रा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
2. तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, जयपुर महानगर जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 31.03.1993 कमांक 3145 एवं तहसीलदार सांगानेर के आदेश कमांक 637 से 645 दिनांक 03.02.1994 प्रविष्टि की कम संख्या 80 पर दर्जशुदा नामान्तकरण को निरस्त किये जाने हेतु।

उपस्थितः–

1. श्री हरीश शर्मा अपीलांट की ओर से।
2. श्री नरेन्द्र पारीक, अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या एक की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 25.07.2019

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, सांगानेर के निर्णय दिनांक 08.02.1983 जिससे नामांन्तरकरण संख्या 80 वाके ग्राम बगरू कलां, तहसील सांगानेर के आदेश दिनांक 03.02.1994 द्वारा तस्दीक किये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.07.2017 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या–1 की ओर से श्री नरेन्द्र पारीक, अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। रेस्पाडेन्ट संख्या दो की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। प्रभारी अधिकारी रिकॉर्ड शाखा कलेक्ट्रेट जयपुर से नामान्तकरण संख्या 80 की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि वर्तमान खसरा नंबर 3398 रकबा 0.18 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर में स्थित है। उक्त

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

अपीलाधीन भूमि पर बटुक जोरावर नाथ भैरव मन्दिर बना हुआ है जिसकी अपीलांट व उसके पूर्वज पुजा अर्चना, रख–रखाव का कार्य करते आ रहे है। वर्तमान खसरा नंबर 3398 की भूमि जो सिवाय चक लगानी गैर मुमकिन देवस्थान विभाग की भूमि संवत् 2011 से 2030 व संवत् 2029 से 2032 तक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि में गैर मुमकिन देवस्थान दर्ज है। रेस्पाडेन्ट्स द्वारा आपसी षडयंत्र रचकर व आपसी मिलीभगत कर उक्त अपीलाधीन भूमि को नामान्तकरण संख्या 80 के तहत तहसीलदार द्वारा रेस्पाडेन्ट्स संख्या 1 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम तस्दीक करवा लिया। जो विधिविरूद्व व दस्तावेजात के विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पाडेन्ट्स अपीलार्थी की भूमि पर दिनांक 08.06.2017 को आये तथा अपीलार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं कब्जा करने की नाकाम कोशिश की। जिस पर अपीलार्थी द्वारा राजस्व विभाग में जानकारी करने पर अपीलार्थी को अपीलाधीन नामान्तकरण के बारे में पता चला जिसके बाद अपीलांट ने अविलम्ब न्यायालय हाजा में अपील पेश की। तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपीलार्थी को बिना सुने व बिना तथ्य पेश करने का अवसर दिये ही जेडीए के नाम अपीलार्थी के कब्जे की भूमि का नामान्तकरण तस्दीक किया है, जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 80 दिनांक 19.08.1994 को निरस्त फरमाया जावें।

दौराने बहस रेस्पाडेन्ट संख्या–एक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि अपीलाधीन का नामान्तकरण जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश दिनांक 31.03.1993 के आधार पर तस्दीक किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 54 के अर्न्तगत जे.डी.ए. क्षेत्राधिकार में आने वाली राजकीय भूमि जे.डी.ए. में निहित मानी जायेगी। उक्त अधिनियम की पालना में ही कार्यवाही सम्पादित करते हुए नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण को तस्दीक करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार ने अधिवक्ता रेस्पा. संख्या एक के कथनो पर सहमति व्यक्त करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 80 नियमानुसार स्वीकार किया गया है। नामान्तरकरण जैसी फिसकल प्रोसीडिंग्स में किसी के हक व अधिकार सुनिश्चित नहीं किये जा सकते है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का मय प्रभारी अधिकारी रिकॉर्ड शाखा कलेक्ट्रेट जयपुर न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण संख्या 80 की प्रमाणित छायाप्रति के आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण संख्या 80 की प्रमाणित छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तकरण जिला कलक्टर महोदय (राजस्व) जयपुर के आदेश कमांक राजस्व/3145 दिनांक 31.03.1993 की पालना में तहसीलदार सांगानेर के आदेश कमांक भू.अ./94/637–645 दिनांक 03.02.1994 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा भरा गया, एवं तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 19.08.1994 को तस्दीक किया गया। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकूक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। अपीलाधीन नामान्तकरण जिला कलक्टर जयपुर के आदेश की पालना में तस्दीक किया गया जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर
अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर